स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

HIRA
GODAWARI POWER & ISPAT

Great Place To Work® Certified INDIA

REF: GPIL/NSE&BSE/2024/5615

Date: 27.09.2024

To,
BSE LIMITED
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai-400001.
Scrip Code: BSE: 532734

To,
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, C/1, Block G,
Bandra Kurla Complex, Bandra (East),
Mumbai-400051.
Scrip Code: GPIL

Dear Sir/Madam,

Sub: Publication of Notice of Record Date.

We have published the notice regarding record date for the purpose of Sub-division of Equity Share of face value of Rs.5/- (Rupees Five) each into 5 (Five) Equity Shares of face value of Re.1/- (Rupee One) each in Hindi and English Edition newspapers.

Please find enclosed herewith a copy of the paper cuttings of the same.

Thanking you,

Yours faithfully,
FOR, GODAWARI POWER AND ISPAT LIMITED

Y.C. RAO
COMPANY SECRETARY
Encl: As Above

Yarra Chandra Rao

Digitally signed by Yarra Chandra Rao
DN: c=IN, o=Personal, postalCode=492007, l=Raipur, st=Chhattisgarh, street=B-31 daldal sivani ward no0 26, Daldal Seoni, Bindrawangarh Chhattisgarh India-492007- green orchind, title=0421, 2.5.4.20=a6c7f115836b640936c2723d6b221053bd5209f81a2d23d9d19e5659cbfccecd, serialNumber=9370afce8f71b28f5b5deee1acda0c81f2f93d91967b0645c7b97e9b1ddf4a87, email=YCRAO65@GMAIL.COM, cn=Yarra Chandra Rao
Date: 2024.09.27 15:12:08 +05'30'

Godawari Power & Ispat Ltd. ★ Raipur (C.G.) ★ GPIL

Nation News

‘Garvi Gujarat’ giving a new dimension to rail tourism

IRCTC is set to launch the “Garvi Gujarat” on Oct 1, 2024, from Delhi.

Press Trust Of India

NEW DELHI: The Indian Railway Catering and Tourism Corporation Ltd. (IRCTC), under Indian Railways, continues its mission to showcase India’s rich historical, cultural and spiritual heritage through the Bharat Gaurav Tourist Trains. Adding to its legacy, IRCTC is set to launch the “Garvi Gujarat” Bharat Gaurav Deluxe AC Tourist Train on October 1, 2024, from Delhi. This special journey will take travelers through Gujarat’s most prominent spiritual and heritage destinations, including the ancient town of Vadnagar and the scenic island of Diu.

Designed for comfort and convenience, the “Garvi Gujarat” Bharat Gaurav Deluxe AC Tourist Train offers a range of modern amenities. Passengers can enjoy two dining restaurants, a state-of-the-art kitchen, shower cubicles, sensor-operated washrooms and foot massagers. With fully air-conditioned coaches

A view of ‘Garvi Gujarat’ Bharat Gaurav Deluxe AC Tourist Train.

in First AC, Second AC and Third AC, the train ensures a safe journey with CCTV cameras and onboard security. The train accommodates 150 passengers, with boarding and deboarding options at Delhi Safdarjung, Gurgaon, Rewari, Ringas, Phulera and Ajmer railway stations.

Spanning 10 days, this spiritual adventure will take tourists to iconic temples such as Somnath, Nageshwar Jyotirlinga, Dwarkadhish Temple and the Mahakali Temple at Pavagadh. Additionally, travelers will explore historical landmarks like Kirti Toran (Vadnagar), Modhera Sun Temple, Rani ki Vav and Diu Fort.

Since its inception, the Bharat Gaurav Tourist Train initiative has been instrumental in promoting tourism across India. Over the past three years, more than 180 Bharat Gaurav trains have traversed 24 states, welcoming over 80000 passengers.

Tourists to get 10 days of spiritual adventure

The journey begins in Delhi, with the first stop at Ahmedabad on October 2, allowing tourists to visit Sabarmati Ashram in honor of Gandhi Jayanti and Akshardham Temple. From there, the train proceeds to the stunning Modhera Sun Temple, Rani ki Vav and Sahasraling Talav in Modhera-Patan. The next destination, Vadnagar, offers a chance to visit Hatkeshwar Temple, Kirti Toran, Sharmistha Lake and the famous Vadnagar Railway Station. Continuing the voyage, the train will stop in Vadodara, where tourists can visit the Mahakali Temple at Pavagadh Hills and the UNESCO World Heritage site, Champaner-Pavagadh Archaeological Park. The adventure doesn’t end there–next is Kevadia, home to the world’s tallest statue, the iconic Statue of Unity. After Kevadia, the journey heads to Somnath, where passengers will visit the revered Somnath Temple and the tranquil Somnath Beach. Diu, the next destination, promises stunning views as tourists explore Diu Fort, INS Khukri and its serene beaches. The final stop is Dwarka, where travelers will visit Dwarkadhish Temple, Nageshwar Jyotirlinga and Beyt Dwarka before returning to Delhi, covering approximately 3500 kilometers of awe-inspiring sights.

HIGHLIGHT

- Over 180 Bharat Gaurav Tourist Trains have been operated across 24 states in India.
- On Oct 2, tourists will visit Sabarmati Ashram on the occasion of Gandhi Jayanti.

Supreme Court orders release of YouTuber Shankar

Press Trust Of India

SC’s order came after the TN govt apprised it of the state having revoked his detention order following the opinion of an advisory board on the issue.

NEW DELHI: The Supreme Court on Wednesday ordered “forthwith” release of well-known YouTuber Savukku Shankar who was detained just after his release under the Tamil Nadu Goondas Act.

The top court’s order came after the Tamil Nadu government apprised it of the state having revoked his detention order following the opinion of an advisory board on the issue.

“Acting on the opinion of the Advisory Board, the state has revoked the order of detention today… In view of the aforesaid, the detenue Shankar alias Savukku Shankar shall be released forthwith, if not required in any other case,” the bench ordered while disposing of his plea against the fresh detention.

Shankar (48) was arrested by the Coimbatore Police from southern Theni on May 4 for alleged derogatory statements about women police personnel and some Madras High Court judges in an interview on the YouTube channel “RedPix 24x7” on April 30, which led to several FIRs against him. Besides these cases, the YouTuber also faces a case lodged by the Theni Police for the alleged possession of ‘ganja’. Shankar was released in pursuance of orders of the apex court and the Madras High Court.

FASTFACTS

- Shanka was arrested on May 4 for alleged derogatory statements about women police personnel and some Madras High Court judges.
- YouTuber also faces a case lodged by the Theni Police for the alleged possession of ‘ganja’.

NEWSLINE

INDORE

Smoke emanates from wheels of Malwa Express

Tense moments unfolded on Wednesday as smoke was spotted emanating from the wheels of the Malwa Express after it left Mhow station in Madhya Pradesh on Wednesday.

Eyewitnesses said railway staff swiftly intervened, using fire extinguishers to manage the situation.

A railway official said there was no threat to passengers on the train.

न्यायालय कलेक्टर, दुर्ग
जिला - दुर्ग (छत्तीसगढ़)
व्यक्तिगत उपस्थिति समन
रा.प्र.क्र. 103 / ब-121 / वर्ष 2023-24
प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक शाखा- सकेत शस्त्र नया रायपुर सेक्टर-24 नया रायपुर तहसील व जिला रायपुर (छ.ग.) ___वादी
प्रतिवादी
नवाब हुसैन खान पिता इस्माइल खान पता- निवासी- म. नं. बी / 5 एल.आई.सी. स्टाफ कॉलोनी सेक्टर-6 भिलाई तहसील व जिला- दुर्ग (छ.ग.) ...अनावेदकगण

उपरोक्त वादी द्वारा इस न्यायालय में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत अनावेदक द्वारा आवेदक बैंक से होम लोन की सुरक्षा हेतु बैंक के पक्ष में रखी गई बंधक संपत्ति एल.आई.जी. 2/170-ए क्षेत्रफल 103.70 वर्गमीटर मौजा बोरसी दुर्ग वार्ड नं. 49 पूर्व सी.जी.एच.बी. बोरसी दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग में स्थित है को बकाया राशि की अदायगी नहीं करने के कारण रिक्त भौतिक आधिपत्य में प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर प्रकरण संस्थित कर प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के अन्तर्गत अनावेदक को इस न्यायालय द्वारा समक्ष सुनवाई किये जाने हेतु सूचना पत्र जारी कर आहूत किया गया था अनावेदक को जारी रजिस्टर्ड नोटिस अपूर्ण पता होने से वापस प्राप्त।
चूंकि अनावेदक को प्रकरण में समक्ष सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाना है अतएव इस समन के जरिये अनावेदकों को आदेश दिया जाता है कि आप इस मामले की आगामी पेशी दिनांक 30/09/2024 को कलेक्टर, दुर्ग के न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से अनिवार्यतः उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। यदि आप निर्धारित सुनवाई तिथि को अनुपस्थित पाये गये तो मामले की सुनवाई आपकी गैरहाजिरी में की जाकर आपके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी।
(कले. महो. द्वारा आदेशित)
डिप्टी कलेक्टर,
वास्ते - कलेक्टर, दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 28/08/2024

J-K will never have a BJP government: Mehbooba

Press Trust Of India

Whatever govt is formed in J&K, PDP will be an important factor, Mehbooba said.

JAMMU: PDP chief Mehbooba Mufti on Wednesday asserted that Jammu and Kashmir will never have a BJP government and no “secular government” can be formed without the support of her party. She expressed readiness to support the formation of any “secular government” in Jammu and Kashmir to keep the BJP out of power. “Jammu and Kashmir will never have a BJP government. There will be a secular government in J-K. Whatever government is formed in Jammu and Kashmir, PDP will be an important factor,” Mehbooba Mufti told reporters on the sidelines of an election rally here.

She further stated, “Without PDP’s support, no secular government can be formed in Jammu and Kashmir.”

Responding to a query on whether she would join hands with the National Conference for government formation, she said, “Our aim is to keep the BJP away from power. The PDP will support the formation of any secular government in Jammu and Kashmir to keep BJP away.”

Asked about the BJP’s claim of securing over 50 seats and picking up a chief minister “from the Jammu region”, she replied, “They have their own Lieutenant Governor and Prime Minister. What have they done for Jammu all these years?

“If they project a Jammu CM as an alternative, they should have appointed a Governor from Jammu. The BJP won’t even cross the 15-seat mark.”

Mehbooba Mufti also responded to Prime Minister Narendra Modi’s criticism of “three families, recalling how her father Mufti Mohammad Sayeed “upheld the Indian flag” during times of unrest in Kashmir.

FASTFACTS

- She criticised PM Modi for labelling the Mufti family as anti-national.
- She lashed out at the govt’s electricity policies and the allocation of contracts to ‘outsiders’.

Court sentences 3 men to lifer

NEW DELHI: A court here sentenced three men to life imprisonment for extorting Rs 2 crore ransom 15 years ago for the release of a businessman’s son.

Additional Sessions Judge Virender Kumar Kharta was hearing the arguments on sentencing against the trio, Gaurav Chauhan, Ankur Singh and Sahi Ram and said that the offence was “heinous” and the trauma of the victim’s family members could be understood. The court also observed that the poverty of the convicts was not a mitigating factor in the case where the aggravating factors far outweighed the mitigating factors.

The accused were earlier convicted under penal provisions for criminal conspiracy, kidnapping or abduction for ransom and criminal intimidation.

FORM NO. NCLT 3A
Advertisement detailing petition
BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL, CUTTACK BENCH
C.P. No. 09/2024
Connected with
C.A. No. 10/CB/2024
In the Matter of :-
The Companies Act, 2013;
And
In the Matter of :-
Sections 230 to 232 of the Companies Act, 2013;
And
In the Matter of :-
Companies (Compromises, Arrangements and Amalgamations) Rules, 2016
And
In the Matter of :-
1.KALYANI TRANSCO PRIVATE LIMITED a company incorporated under the Companies Act, 2013 and having its registered office at office at 4th Floor, 439, Magneto Mall Centre Office Zone, Telibandha, Raipur, Chattisgarh, India, 492001 within the aforesaid jurisdiction.
2.KALYANI LOGISTICS PRIVATE LIMITED a company incorporated under the Companies Act, 2013 and having its registered office at office at 4th Floor, 439, Magneto Mall Centre Office Zone, Telibandha, Raipur, Chattisgarh, India, 492001 within the aforesaid jurisdiction.
3.KALYANI RESORTS PRIVATE LIMITED a Company incorporated under the Companies Act, 1956 and having its registered office at office at 4th Floor, 439, Magneto Mall Centre Office Zone, Telibandha, Raipur, Chattisgarh, India, 492001 within the aforesaid jurisdiction.
And
In the matter of :-
1.Kalyani Transco Private Limited
2.Kalyani Logistics Private Limited
3.Kalyani Resorts Private Limited
.... Petitioners
A Petition under Section 232(3) of the Companies Act, 2013 read with Rule 15 of the Companies (Compromise, Arrangements and Amalgamations) Rules, 2016 was presented by the Petitioner Companies, Kalyani Logistics Private Limited, Kalyani Resorts Private Limited, (Transferor Companies) and Kalyani Transco Private Limited (Transferee Company) on the 24.07.2024 and the said petition is fixed for final hearing before the Cuttack Bench of National Company Law Tribunal (NCLT) on the 25th day of October, 2024. Any person desirous of supporting or opposing the said Petition should send to the Hon'able NCLT Cuttack Bench and/or petitioner's Authorized Representatives, CS Tanveer Kaur Tuteja, notice of his intention, signed by him or his advocate with his name and address so as to reach the Hon'able NCLT Cuttack Bench and/or petitioner's Authorized Representatives not later than two days before the date fixed for the hearing of the Petition. Where any person seeks to oppose the petition, the grounds of opposition or copy of his affidavit shall be furnished with such notice. A copy of the petition will be furnished by the undersigned to any person requiring the same on payment of the prescribed charges for the same.
Dated this 25th of September, 2024 Raipur
Authorized Representatives
Sd/-
Tanveer Kaur Tuteja
Practicing Company Secretary
C/O H.S Dutta, Hotel Ranjit Station Road, Raipur Chhattisgarh 492001

Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission
Irrigation Colony, Shanti Nagar, Raipur - 492 001 (C.G.) Ph.0771-4073568, Fax: 4073553
Website: www.cserc.gov.in, E-mail: cserc.sec.cg@nic.in
TENDER NOTICE –TENDER No. 07/2024
Bids are invited from consultancy firms for providing assistance to the Commission in Scrutiny, Analysis and Disposal of Tariff Petitions, Capital Investment Plan Petitions for the control period from FY 2025-26 to FY 2029-30. The tender documents are available on the Commission's website-www.cserc.gov.in.
Last date for submission of tender – 21/10/2024 (3:00 pm).
SAVE ELECTRICITY S-41558/5 SECRETARY

NOTICE
This is to inform all the concerned peoples that M/s MSM & SNDB & Ispat & Power Private Limited has been granted Environmental Clearance by Ministry of Environment Forest and Climate Change, Government of India vide its File no.: IA-J-11011/89/2023-IA- II(IND-I) and EC Identification No.: EC24A1001CG5963196N dated: 04.09.2024 for Sponge Iron manufacturing Kilns 99,000 Tons/ year, Induction Furnace with LRF & CCM (Hot Billets/MS Billets/Ingots) 1,48,500 Tons/ year, Rolling Mill (85% Hot charging with Hot Billets and remaining 15% through RHF with KDO/Producer Gas as fuel) 1,40,250 Tons / year, Coal Gasifier 1200Nm3/hr, M.S. Pipe 1,00,000 Tons/ year, Ferro Alloys (2x9 MVA) unit manufacturing of Ferro Silicon 14,000 Tons/ Year or Ferro Manganese 50,400 Tons/ Year or Silico Manganese 28,800 Tons/ Year or Ferro Chrome 30,000 Tons/ Year or Pig Iron 50,400 Tons/ Year, WHRB based Power Plant 7.5 MW, FBC based Power Plant 5 MW, Fly ash Bricks plant 6500 Bricks / Day and Briquetting Plant 200 kg/ Hour at Village: Nakti Khapri, Tehsil: Tilda, District: Raipur [C.G.]. The aforesaid Environment Clearance letter is available on website of Ministry of Environment, Forest & Climate Change, Government of India (MoEF&CC) [parivesh.nic.in] and copies are also available at Head Office of Chhattisgarh Environment Conservation Board, Paryavas Bhawan, North Block, Sector 19, Nava Raipur Atal Nagar, District Raipur [C.G.] and Regional Office, Chhattisgarh Environment Conservation Board New Office Building, Ring Road No. -2,Tatibandh, District Raipur [C.G.].
For, M/s MSM & SNDB & Ispat & Power Private Limited
[Signature]

NMDC Steel Limited
C/o NMDC Iron & Steel Plant
Post-Nagarnur (Bastar) Chattisgarh-494001
CIN : U27310CT2015GO1001618
E-mail : nslcontracts@nmdc.co.in, gajendrasethiya@nmdc.co.in, csn@nmdc.co.in
OPEN TENDER ENQUIRY
NMDC Steel Limited, Nagarnar, invites sealed tenders in two bid system for the following:
1) Name of Work : Civil Repair & Maintenance of Industrial Buildings
Tender No & Date:NSL/CONTRACTS/ CON/523/Annual Maintenance - Part A/2024/470 Dated: 26.09.2024, last date & Time for submission of offers as 23.10.2024 by 02.30 PM.
2) Name of Work : Civil Repair and Maintenance Work of office Building
Tender No & Date: NSL/CONTRACTS/ CON/553/Annual Maintenance - Part B/2024/471 Dated: 26.09.2024, last date & Time for submission of offers as 23.10.2024 by 02.30 PM.
3) Name of Work : Civil Repair and Maintenance Work of road, Drain etc.
Tender No & Date: NSL/CONTRACTS/ CON/558/Annual Maintenance - Part C/2024/472 Dated: 26.09.2024, last date & Time for submission of offers as 23.10.2024 by 02.30 PM.
Tender documents can be downloaded from websites www.nmdc.co.in or www.eprocure.gov.in in tender section.
HOD (Contracts)

HIRA GODAWARI POWER & ISPAT
GODAWARI POWER AND ISPAT LIMITED
Regd. Office: 428/2,Phase-I, Industrial Area, Siltara,Raipur (C.G.)
Corporate Office: Hira Arcade, Pandri, Raipur (C.G.) 492001
CIN.: L27106CT1999PLC013756, Tel : 0771-4082000
Website: www.godawaripowerispat.com E-mail: yarra.rao@hiragroup.com
NOTICE OF RECORD DATE
Pursuant to Regulation 42 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Sec. 91 of Companies Act, 2013, we wish to inform that the Board of Directors of the Company has fixed Friday, 04th October, 2024 as the Record Date for determining the eligibility of Shareholders with regard to the sub-division of Equity Share of face value of Rs.5/- (Rupees Five) each into 5 (Five) Equity Shares of face value of Re.1/- (Rupee One) each as approved by the shareholders in their Annual General Meeting held on September 21, 2024.
For Godawari Power and Ispat Limited
Sd/-
Place : Raipur
Date : 25.09.2024
Y. C. Rao, Company Secretary

TAMILNAD MERCANTILE BANK LIMITED
Raipur Branch, Ground Floor, Bhatia Complex
Vidhansabha Road,Opp.Land Mark Hotel,Pandri,
Raipur – 492 001,Chhattisgarh State
Email: raipur@tmbank.in Ph: 0771 2432076, 72250 38883
SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES
Auction Sale Notice for sale of Immovable Assets under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 9(1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002
Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below described immovable property mortgaged/ charged to the Secured Creditor, the constructive possession of which has been taken by the Authorized Officer of Tamilnad Mercantile Bank Limited Raipur Branch, Secured Creditor, will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" on 23.10.2024 for recovery of Rs.8,07,661.90 (Rupees Eight Lakhs Seven Thousand Six Hundred Sixty One and Paise Ninty Only) as on 28.08.2024 due to the Tamilnad Mercantile Bank Limited, Raipur Branch with subsequent interest and expenses. Due to Tamilnad Mercantile Bank Limited Raipur Branch (Secured Creditor) from Borrower / Mortgagor / Guarantors Mrs. Priya Singh W/o.Mr.Sanjeev Kumar and Mr. Sanjeev Kumar, S/o. Mr.Rajeev Kumar. The Reserve Price will be Rs.10,58,000.00 (Rupees Ten Lakhs Fifty Eighty Thousand Only) and the earnest money deposit will be Rs.1,05,800/- (Rupees One Lakh Five Thousand Eight Hundred only).
Place of Auction: Tamilnad Mercantile Bank Ltd, Raipur Branch Ground Floor, Bhatia Complex,Vidhansabha Road,Opp.Land Mark Hotel,Pandri,Raipur – 492 001.
Date and Time of Auction Sale:23.10.2024 and 3.00 P.M.
Description of the Property :
All parts of old house flat to the extent of 542.41 sq.ft at KH No.1185/1/THA, 1211/1/K (part), PH No 40, Flat No LIG-68, Block No.3, Fifth Floor, Kamardih, Raipur standing in the name of Mrs.Priya Singh W/o Mr.Sanjeev Kumar Boundaries:North: Flat No.LIG 67, South: Block No.02,East: Flat No.89/ Block No.04,West: Flat No.65.
Place: Raipur Authorised Officer,
Date : 20.09.2024 Tamilnad Mercantile Bank Ltd., For Raipur Branch
Note : 1) The sale notice is also uploaded/published on website (www.tmb.in). For terms and conditions of the auction, visit our website www.tmb.in / Raipur Branch.
2) The Secured creditor hasbeen already issued prior sale notice under Rule 8(6) of Security interest (Enforcement) Rules under SARFAESI Act to the borrowers and guarantors they have ailed to remit the entire loan amount.
For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link provided in secured creditors website (www.tmb.in)

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
पुराना जिला चिकित्सालय भवन जिला राजनांदगांव (छ.ग.)
Email- cmho-rjn.cg@gov.in, Ph. 07744-224084
क्रमांक / स्था. / सीधी भर्ती / 2024 / 5259 राजनांदगांव दिनांक : 24.9.2024
॥ दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचना ॥
जिला स्तरीय रिक्त नियमित पदों भर्ती के संबंध में ड्रेसर ग्रेड–1 एवं ड्रेसर ग्रेड–2 के नियमित पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से पूर्ति करने हेतु आनलॉईन माध्यम से आमंत्रित आवेदन पत्रों के आधार जिला स्तरीय चयन समिति के अनुमोदन एवं निर्देशानुसार दस्तावेज सत्यापन करने हेतु अभ्यार्थियों की द्वितीय सूची जारी की जा रही है। जिसका प्रकाशन राज्य स्तरीय विभागीय वेबसाईट https://cghealth.nic.in में किया जा रहा है। अभ्यार्थी दस्तावेज सत्यापन हेतु उक्त सूची का अवलोकन कर दिनांक 01.10.2024 समय प्रातः 10:00 बजे से संध्या 05:00 बजे तक निर्धारित प्रारूप में जानकारी भरकर अपने समस्त आवश्यक दस्तावेजों की मूल प्रति एवं एक छायाप्रति के साथ कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पुराना जिला चिकित्सालय भवन, गुरुनानक चौक राजनांदगांव में उपस्थित होवें। साथ ही फार्मासिस्ट ग्रेड–2 हेतु जारी चयन सूची के संबंध में शुद्धि पत्र जारी किया जा रहा है।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला राजनांदगांव (छ.ग.)
G-242502773/1

यूको बैंक UCO BANK
Zonal Office, Chhattisgarh Eye Hospital Campus, 1st Floor, Telibandha, Raipur (C.G.) 492006
POSSESSION NOTICE (For Immovable Properties)
[Under Rule-8(1) of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002]
Whereas,
The undersigned being the Authorised Officer of the UCO Bank under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 and in exercise of Powers conferred under section 13(2) read with the Security Interest (Enforcement) Rules 2002 issued Demand Notice on the dates, mentioned against each Account (given below) calling upon the Borrowers/ Guarantors / Mortgagers to repay the amount as mentioned against each account within 60 days from the date of notices / date of receipt of the said notices. The Borrowers/ Guarantors / Mortgagers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrowers/ Guarantors / Mortgagers and the public in general that the undersigned has taken Symbolic possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under sub-section (4) of section 13 of the said Act read with rule 8 of the Security Interest Enforcement Rules, 2002 on the date mentioned below.
The Borrower's / Guarantors' / Mortgager's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act in respect of time available to redeem the secured assets.
The Borrowers/ Guarantors / Mortgagers in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the properties and any dealings with the property/ies will be subject to the charge of UCO Bank for the amounts and interest thereon.

Sl. No.	Name of Borrower/ Guarantors & Mortgagor	Description of the Property	Date of Demand Notice / Possession Notice affixed on	Amount outstanding as on the date of demand notice
1.	1. M/s. Khushi Paver and Tiles, Prop. Mr. Mukesh Panjwani S/o. Mr. Gopi Chand Panjwani, 2. Smt. Bhawna Panjwani W/o. Mr. Mukesh Panjwani (Guarantor), Both Add.- Katora Talab, Sant Kabir Ram Chowk, Raipur	Property No-1: Khasra No. 957/2, Kurud PC No. 74/13 New Number 14, Mandir Haushad, Dist- Arang. Area of the land- 11520 Sq Ft. Deed No. 2260 Granth No. 44974 Pages 58 to 66 dated 09-09-2009. Property Owner-Shri Mukesh Panjwani S/o- Shri Gopi Chand Panjwani. Property No-2: Block-B, Katora Talab, Plot No. 146/1, New Number 143/3, Area 130 Sq Ft. Deed No. 2194 Granth No. 63474 Pages 48 to 57 dated 12-06-2014. Property Owner- Shri Mukesh Panjwani S/o- Shri Gopi Chand Panjwani. Property No-3: Block-B, Katora Talab, Plot No. 146/1, New Number 146/3, Area 78 Sq Ft. Deed No. 2193 Granth No. 63474 Pages 40 to 47. Property Owner- Shri Mukesh Panjwani S/o-Shri Gopi Chand Panjwani.	12.06.2024 / 20.09.2024	₹ 50,88,850.13 + interest & Other Charges.

Date : 25.09.2024 Place : Raipur (C.G.) Chief Manager, Authorised Officer / UCO BANK

देश

उवाच

"झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहते हैं कि राज्य में आदिवासी की सरकार है, वो हमेशा आदिवासी समाज रटते रहते हैं लेकिन सच्चाई तो यह है कि सबसे ज्यादा आदिवासी समाज को ठगने का प्रयास हेमंत की सरकार ही कर रहा है।"

–अर्जुन मुंडा, भाजपा नेता

तापमान	अधिकतम	न्यूनतम
दिल्ली	32.0	27.0
मुंबई	28.0	27.0
कोलकाता	20.0	26.0
चेन्नई	29.0	28.0

गुजरात में ध्वस्त कानून व्यवस्था पर मोदी की खामोशी चिंतनीय : कांग्रेस

गुजरात में यौनाचार की बढ़ती घटनाओं को लेकर केंद्र को घेरा

नई दिल्ली, 25 सितम्बर (एजेंसियां)। कांग्रेस ने बुधवार को कहा कि गुजरात में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं और महिलाओं के साथ आए दिन यौन शोषण तथा दुष्कर्म की घटनाएं सामने आ रही हैं जिससे साफ होता है कि राज्य में कानून का राज ध्वस्त हो चुका है। कांग्रेस का कहना है कि गुजरात में यौनाचार की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। इन घटनाओं से महिलाओं के लिए राज्य में असुरक्षा माहौल और बढ़ गया है लेकिन सरकार इस बारे में कोई कदम नहीं उठा रही है। महिलाओं के साथ दुष्कर्म के कई आरोपी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से संबंधित बताए जा रहे हैं। गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष शक्तिसिह गोहिल ने कहा स्कूलों में यौनाचार की घटनाएं हो रही हैं और इन घटनाओं से राज्य की महिलाओं में दहशत है लेकिन इन घटनाओं को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी खामोश हैं। वह अपनी चुप्पी नहीं तोड़ रहे हैं।

गुजरात में लगातार बढ़ रहीं महिलाओं से जुड़ी घटनाएं

गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष शक्तिसिह गोहिल ने बुधवार को यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि गुजरात में महिलाओं से जुड़ी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं लेकिन सरकार या प्रधानमंत्री इस एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। दो दिन पहले राज्य के दाहोद

महिलाओं के साथ दुष्कर्म के कई आरोपी भाजपा से संबंधित बताए जा रहे हैं : शक्तिसिह गोहिल

में एक सरकारी स्कूल का प्रिंसिपल अपने ही स्कूल की छह साल की छात्रा के साथ कार में दुष्कर्म करता है। जब बच्ची चिल्लाने लगती है तो उसका गला घोंटकर मार देता है। यह राक्षसी कृत्य करने वाला अपने आपको समाज सुधारक बताता है। राक्षसी कृत्य करने वाला यह प्रिंसिपल आरएसएस-भाजपा की विचारधारा का प्रचारक है और चुनावों में भाजपा का प्रचार करता रहा है। कांग्रेस नेता ने कहा कि गुजरात के एक अखबार में छपी खबर के अनुसार महिलाओं से अपराध करने वालों का कहीं न कहीं भाजपा कनेक्शन है। इन तमाम घटनाओं से साफ हो गया है कि गुजरात में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। गुजरात में आए दिन इतना सब कुछ हो रहा है लेकिन मोदी इन घटनाओं पर खामोश हैं। उन्होंने एक चौंकाने वाला खुलासा किया और कहा,''गुजरात में सरकारी स्कूल के शिक्षकों को टार्गेट दिया गया है कि आपको लोगों को भाजपा का सदस्य बनाना है। बच्चों से मोबाइल नंबर और उनसे ओटीपी मांगा जा रहा है। सरकारी अस्पताल में इंजेक्शन लेने गए पेशेंट से ओटीपी मांगा जाता है।

स्कूलों में हो रहीं यौनाचार की घटनाएं

गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष शक्तिसिह गोहिल ने कहा स्कूलों में यौनाचार की घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने कहा कि मेहसाणा में तंत्र-मंत्र विद्या के नाम पर एक आदमी नाबालिग को फंसाता है और उसके साथ दुष्कर्म करता है। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में भाजपा युवा मोर्चा का महासचिव गौरव आरोपी पाया गया जो अब जेल में हैं। इसी तरह वडोदरा में भाजपा का एक नेता एक विवाहित महिला के घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म करता है और फिर जान से मारने की धमकी देता है।

एमयूडीए घोटाले की हो सीबीआई जांच : विजयेंद्र

बेंगलुरु, 25 सितम्बर (एजेंसियां)। भारतीय जनता पार्टी की कर्नाटक इकाई के अध्यक्ष विजयेंद्र येदियुरप्पा ने बुधवार को मुख्यमंत्री सिद्दारमैया के इस्तीफे की मांग करते हुए उनसे जुड़े मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) घोटाले की केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच कराने का आग्रह किया।

येदियुरप्पा ने कहा कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। सीबीआई को जांच करनी चाहिए और मुख्यमंत्री को सीबीआई जांच का आदेश देना चाहिए। उन्होंने मैसूरु लोकायुक्त की निष्पक्ष जांच करने की क्षमता की आलोचना करते हुए घोषणा की, मैसूरु लोकायुक्त द्वारा जांच असंभव है। हम कल विधान सौध परिसर में विरोध प्रदर्शन करेंगे।मामले की याचिकाकर्ताओं में से एक कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा ने भी इसी तरह की भावनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि न्यायालय ने लोकायुक्त जांच को अनिवार्य कर दिया है, लेकिन हम कर्नाटक उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि जांच केवल सीबीआई द्वारा हो। एक बार प्राथमिकी दायर हो जाए, उसके बाद हम कर्नाटक उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। कृष्णा का प्रतिनिधित्व करने वाली वकील लक्ष्मी अयंगर ने उम्मीद जताई कि लोकायुक्त जांच में पारदर्शिता और निष्पक्षता बरतेंगे और अगर ऐसा हुआ, तो सच्चाई सामने आ जाएगी। इसके अतिरिक्त, उन्होंने सबूतों की मजबूती पर जोर दिया।

पीओके भारत का इसे हर हाल में वापस लिया जाएगा : शिवराज

जम्मू के कठुआ में भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में मांगे वोट

नई दिल्ली/जम्मू, 25 सितम्बर (एजेंसियसां)। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों की कड़ी निंदा करते हुए बुधवार को कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर (पीओके) भारत का है और इसे हर हाल में वापस लिया जाएगा।

चौहान ने जम्मू के कठुआ में भाजपा उम्मीदवार भारत भूषण, हीरानगर में विजय शर्मा और बिशनाह में डॉक्टर राजीव के समर्थन में विजय संकल्प सभा को संबोधित करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां), पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और कहा कि नेकां का मतलब नॉनसेंस कॉन्फ्रेंस होता है, कांग्रेस-आईएनसी का मतलब इंडियन नेशनल करप्शन पार्टी होता है और पीडीपी का मतलब पर्सनल डेवलपमेंट पार्टी है। इन तीन खानदानों ने जनता के लिए कभी कुछ

नहीं किया और प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कश्मीर में हमारी सेनाएं पूरी ताकत से लड़ रही थी और पाकिस्तानी सेना को खदेड़ा जा रहा है।पंडित जवाहर लाल नेहरू के कारण आज कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान में चला गया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भाजपा ने समाज के हर वर्ग को न्याय दिया है, इसलिए यहां के विकास के लिए और जनता के कल्याण के लिए लोग उनकी पार्टी के साथ खड़े हैं।

पाकिस्तान कब्जे वाला कश्मीर भारत का ही अंग

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पाकिस्तान कब्जे वाला कश्मीर भारत का ही अंग है और इसलिए आज नहीं तो कल हम पूरी तरह से उसको विलय करेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का संकल्प है। भाजपा नेता ने कहा कि समाज के हर वर्ग के लोग उनकी पार्टी के साथ खड़े हैं। आतंकवाद अगर फैला तो नेशनल कॉफ्रेस और कांग्रेस की सरकार के दौरान फैला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और नेशनल कांफ्रेंस चीन की मदद से अनुच्छेद 370 को वापस लाना चाहते हैं।

सार संक्षेप

मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को किया नमन

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को राष्ट्रवादी विचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें नमन किया। मोदी ने पोस्ट करते हुए लिखा, महान राष्ट्रवादी विचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय को उनकी जयंती पर कोटि-कोटि नमन। अंत्योदय की उनकी अवधारणा विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि में अमूल्य भूमिका निभाने वाली है। देश के लिए उनका समर्पण व सेवा भाव अविस्मरणीय रहेगा। उल्लेखनीय है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितम्बर 1916 में राजस्थान के धनकिया (धनक्या) में हुआ था।

राहुल को धमकी मिलने पर कराई शिकायत दर्ज

इंफाल। मणिपुर कांग्रेस ने पार्टी के नेता राहुल गांधी को कथित धमकी को लेकर बुधवार को इंफाल सिटी थाने में शिकायत दर्ज कराई।

मणिपुर कांग्रेस अध्यक्ष कीशम मेघचंद्र ने पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष विक्टर कीशिंग और उपाध्यक्ष हरेश्वर ओजा इमो के साथ भाजपा और राजग के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि राजग व भाजपा नेताओं ने विभिन्न मंचों पर गांधी को धमकी दी है।

राजकोट में बन रहा है नि:शुल्क सद्भावना वृद्धाश्रम

अहमदाबाद। मानवसेवा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा समाजसेवियों और दानवीरो के सहयोग से 'मातृदेवो भव पितृदेवो भव' की भावना को स्थापित करने के लिए गुजरात में राजकोट-जामनगर राजमार्ग पर रामपर में 30 एकड़ भूमि में 'सदभावना वृद्धाश्रम' का एक नया परिसर बनाया जा रहा है। हिन्दू धर्माचार्य महासभा के अंतरराष्ट्रीय संयोजक, महासचिव, शिवानंद आश्रम अहमदाबाद के अध्यक्ष एवं सदभावना वृद्धाश्रम के संरक्षक परमात्मानंद सरस्वती ने बताया कि देश के सबसे बड़े इस वृद्धाश्रम के निर्माण की लागत लगभग 300 करोड़ रुपए होगी, जिसमें 11 मंजिल की सात नई इमारतों में 5000 निराश्रित, अपाहिज, बीमार बुजुर्गों के लिए 1400 कमरे तैयार किए जाएंगे।

वाहन के पेड़ से टकराने से छह तीर्थयात्रियों की मौत

कल्लाकुरिची/तमिलनाडु। तमिलनाडु के कल्लाकुरिची जिले में पर्यटक वैन के सड़क किनारे पेड़ से टकरा जाने से छह तीर्थयात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई तथा 16 अन्य घायल हो गए।

ओडिशा सरकार ने 31 नवीन परियोजनाओं को दी मंजूरी

परियोजनाओं को 18 जिलों में किया जाएगा लागू

भुवनेश्वर, 25 सितम्बर (एजेंसियां)। ओडिशा सरकार ने 4,954.26 करोड़ रुपए की लागत वाली 31 अभिनव परियोजनाओं को मंजूरी दी है।

ओडिशा सरकार के मुख्य सचिव मनोज आहूजा की अध्यक्षता में मंगलवार रात 131वीं राज्य स्तरीय एकल खिड़की मंजूरी प्राधिकरण (एसएलएसडब्ल्यूसीए) की बैठक में इन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। ये निवेश विभिन्न क्षेत्रों में फैले हुए हैं और ओडिशा के आर्थिक परिदृश्य को बदलने के लिए तैयार हैं, जिससे एक प्रमुख निवेश गंतव्य के रूप में इसकी स्थिति मजबूत होगी। स्वीकृत परियोजनाओं से लगभग 24,162 नए रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है, जो क्षेत्र के समग्र आर्थिक विकास और रोजगार वृद्धि में योगदान देगा। एसएलएसडब्ल्यूसीए ने मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल कैपिटल गुड्स, खाद्य प्रसंस्करण, पैकेजिंग, परिधान और वस्त्र, जैव ईंधन, हरित ऊर्जा उपकरण, ईएसडीएम, स्टील (सहायक), गैर-धात्विक खनिज उत्पाद (अपवर्तक उत्पाद), स्टील (डाउनस्ट्रीम), प्लास्टिक, खाद्य, पेय और संबद्ध क्षेत्र, कृषि प्रसंस्करण, पर्यटन, बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा, और फार्मास्युटिकल सहित विभिन्न क्षेत्रों में फैली परियोजनाओं की एक श्रंखला को मंजूरी दी। परियोजनाओं को राज्य के 18 जिलों में लागू किया जाएगा। स्टील क्षेत्र में, कैल्डेरीज़ इंडिया रिफ्रैक्टरीज लिमिटेड विभिन्न रिफ्रैक्टरी उत्पादों के लिए एक विनिर्माण सुविधा में 698.71 करोड़ रुपये का निवेश करेगा।

2025 की तैयारी में जुटे उपेंद्र कुशवाहा

पटना, 25 सितम्बर (देशबन्धु)। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने 2025 की तैयारी शुरू कर दी है। उपेंद्र कुशवाहा ने बुधवार को अरवल के कुर्था में अमर शहीद जगदेव प्रसाद की शहादत स्थल से बिहार यात्रा की शुरुआत की। कुशवाहा इस दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और किसानों के मुद्दों को लेकर जनता से मिलेंगे। बिहार यात्रा के माध्यम से न केवल वह आम लोगों की समस्याओं को समझने का प्रयास करेंगे, बल्कि एनडीए के लिए कुशवाहा वोट बैंक को भी मजबूत करने की कोशिश करेंगे।

राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने बुधवार को अरवल और औरंगाबाद में यात्रा की। इसके बाद 26 सितम्बर को औरंगाबाद और रोहतास में रहेंगे। 27 सितम्बर को वह रोहतास में यात्रा के बाद भोजपुर भी जाएंगे। इसके बाद 29 सितम्बर को

- जगदेव बाबू की धरती कुर्था से की बिहार यात्रा की शुरुआत
- एनडीए के लिए वोट बैंक मजबूत करने का करेंगे प्रयासढ
- शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार व किसानों के मुद्दों को लेकर जनता से मिलेंगे

कुशवाहा का कारवां सारण पहुंचेगा। उन्होंने बताया कि जल्द ही दूसरे चरण के कार्यक्रम की जानकारी साझा की जाएगी। कुशवाहा ने कहा कि पहले भी हमने यात्रा की है। मैंने जब-जब यात्रा की है अधिकांश बार चंपारण से यात्रा की शुरुआत की है। लेकिन, इस बार जान मजबूत करके कुर्था अरवल से शुरुआत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यही वह इलाका है जहां लोकसभा चुनाव में एनडीए के लिए अनुकूल परिणाम नहीं आया था। इसके बाद अब कुशवाहा वहां जाकर नब्ज टटोलेंगे की क्या कुछ कमी रह गई और इसे कैसे दूर किया जा सकता है। इसको लेकर वह इन इलाकों के लोगों से विचार विमर्श करेंगे और जो कमी रह गई है उसे दूर करने की कोशिश करेंगे।

जेडीयू एमएलसी ने यात्रा पर जाने से किया था मना

बता दें कि इस यात्रा को लेकर एनडीए में शामिल दल के कुछ नेता आपत्ति जता चुके हैं। जेडीयू एमएलसी भगवान सिंह कुशवाहा ने यह कहा है कि अभी यात्रा का समय नहीं है। अभी संगठन में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने की जरूरत है। 2025 में एनडीए लड़ेगा। एनडीए के वो हिस्सा हैं तो संयुक्त रूप से एनडीए का जो अभियान चले उसमें उनको शामिल होना चाहिए था। दरअसल इस यात्रा को लेकर जेडीयू नेता भगवान सिंह कुशवाहा ने कुछ दिनों पहले मीडिया से बात की थी। उसी दौरान उन्होंने प्रतिक्रिया दी थी। यह भी कहा था कि उपेंद्र कुशवाहा अपने दल के हिसाब से जा रहे हैं। दल का विस्तार, दल को मजबूत करना चाहते हैं क्योंकि लोकसभा में पिट गए। विधानसभा चुनाव में तो कुछ सीट मिलेगी। हालांकि बता दें उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने यह साफ कहा है कि वह एनडीए के पक्ष में माहौल बनाएंगे ताकि इसका फायदा विधानसभा चुनाव में मिले।

वक्फ बिल का तार्किक समाधान करे सरकार : राजीव रंजन

पटना, 25 सितम्बर (एजेंसियां)। वक्फ संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) 26 सितम्बर से 1 अक्टूबर के बीच पांच राज्यों में अनौपचारिक चर्चा करेगी। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि वह चाहते हैं कि इस मामले का तार्किक समाधान हो। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड बिल की संवेदनशीलता को देखते हुए इसे जेपीसी को सौंपा गया है। इस बिल के पक्ष में और विपक्ष में रहे सांसद जेपीसी के सदस्य हैं। इस पर सारे राजनीतिक दल और संवैधानिक संस्थाएं अपनी राय देंगी। देश में राय मशविरा करने के बाद जेपीसी जो भी फैसला करेगी, उस फैसले का हम सम्मान करेंगे। हम यही चाहते हैं कि इस मामले का तार्किक समाधान हो। बता दें की वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पर जेपीसी 26 सितम्बर से 1 अक्टूबर के बीच पांच राज्यों में अनौपचारिक चर्चा करेगी।

HIRA GODAWARI POWER & ISPAT

गोदावरी पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: 428/2, फेस-1, औद्योगिक क्षेत्र, सिलतरा, रायपुर, छत्तीसगढ़
कॉर्पोरेट कार्यालय: हीरा आर्केड, पंडरी, रायपुर, छत्तीसगढ़ 492001
सीआईएन: L27106CT1999PLC013756, दूरभाष: 0771-4082000,
वेबसाइट: www.godawaripowerispat.com ईमेल: yarra.rao@hiragroup.com

रिकॉर्ड तिथि की सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि;
सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 42 के अनुसार एवं कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 91, के तहत हम सूचित करना चाहते हैं कि कंपनी के निदेशक मंडल ने अंकित मूल्य के इक्विटी शेयर के उप-विभाजन के संबंध में शेयरधारकों की पात्रता निर्धारित करने के लिए शुक्रवार, 04 अक्टूबर, 2024 को रिकॉर्ड तिथि के रूप में तय किया है। 21 सितंबर, 2024 को आयोजित वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित 5/- (पाँच रुपये) के अंकित मूल्य के 1 (एक) इक्विटी शेयर को 1/- (एक रुपये) के 5 (पाँच) इक्विटी शेयरों में विभाजित किया जायेगा।

स्थान: रायपुर
दिनांक: 25.09.2024

कृते, गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड
हस्ता.
वाय. सी. राव, कंपनी सचिव

Public Works Department
Sector-19, North Block, Naya Raipur (C.G.)
E-Procurement Tender Notice
E-mail: tenders-pwd.cg@gov.in

NIT No. 099/TC/EinC/PWD/2024-25 Dated-18.09.2024

The Engineer-in-Chief, Public Works Department on behalf of Governor of Chhattisgarh invites percentage rate bids on electronic tendering system under RCPLWE RRP-III in the district of Narayanpur, Bijapur & Kanker for construction of 04 Bridges with estimated cost amounting Rs 2021.88 Lacs including their maintenance for five years from the contractors registered with unified registration system (e-registration) in Chhattisgarh. Non registered bidders may submit bid; however the successful bidder must get registered in appropriate class under "Unified Registration System (e- Registration) of Chhattisgarh before signing the agreement.

The bid document shall be available to bidders online free of cost and should be submitted online e-procurement system of government of Chhattisgarh in https://eproc.cgstate.gov.in. Bids form will be available on the website from 20.09.2024 and may be submitted up to 17:00 Hrs. on 03.10.2024 For participating in bidding process, bidders are required to register in the above web-site with nominal fee of Rs 500/- to be paid onine to service provider. For submission of the bids, the bidder is required to have a valid Digital Signature Certificate (DSC) from authorized certifying authorities.

The bidders are required to submit (a) original bid security in approved form and (b) original affidavit duly verified and notarized as per clause 4.4 B (a) (ii) and 4.4 B (c) to Chief Engineer, Tender Cell, First Floor, Nirman Bhawan, PWD, North Block, Sector-19, Naya Raipur (C.G.) 492-002 as per provisions of bid document through Speed/ Registered post, failing which the bids shall be declared non-responsive.

Detailed schedule of important dates may be seen on notice board of offices and also available on website of Public Works Departmenthttp://pwd.cg.nic.in

Chief Engineer
(Central Tender Cell)
Office of Engineer-In-Chief
G-242502763 P.W.D. Nava Raipur Atal Nagar (C.G.)

सांकेतिक कब्ज़े की सूचना

ICICI Bank | शाखा कार्यालय : आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, लैंडमार्क बिल्डिंग, चौथी मंजिल, 228ए, एजेसी बोस रोड, कोलकाता- 700020. CIN नंबर: L65190GJ1994PLC021012, www.icicibank.com

आईसीआईसीआई बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिभूतिकरण, वित्तीय आस्तियों का पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 एवं प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 सहित पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे उल्लिखित कर्ज़दार(रों) को माँग सूचना निर्गमित की गई थी, उक्त सूचना में कहा गया था कि वे सूचना प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर सूचना में उल्लिखित राशि का भुगतान करें।
कर्ज़दार राशि चुकाने में विफल रहे हैं, अतएव कर्ज़दार और जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त अधिनियम 8 सहित पठित धारा 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे उल्लिखित तिथियों पर नीचे वर्णित संपत्ति का अधोहस्ताक्षरदाता द्वारा सांकेतिक कब्ज़ा ले लिया गया है। विशेष रूप से कर्ज़दार एवं जनसाधारण को संपत्ति के संव्यवहार नहीं करने हेतु सचेत किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी संव्यवहार आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

क्र. सं.	कर्ज़दार/ सह-कर्ज़दार का नाम/ ऋण खाता क्र.	संपत्ति का विवरण/ सांकेतिक कब्ज़े की तिथि	डिमांड नोटिस की तिथि/ डिमांड नोटिस में राशि (रु.)	शाखा का नाम
1.	श्री रानी सती स्टील ट्रेडर्स/ रेखा झुनझुनवाला, पवन कुमार झुनझुनवाला, राज कुमारी झुनझुनवाला, संतोष देवी झुनझुनवाला, एसआरएस इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, सत्य प्रकाश झुनझुनवाला, बलदेवप्रसाद मालीराम झुनझुनवाला (सह-उधारकर्ता)/ रेखा झुनझुनवाला, पवन कुमार झुनझुनवाला, राज कुमारी झुनझुनवाला, संतोष देवी झुनझुनवाला, एसआरएस इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, सत्य प्रकाश झुनझुनवाला, बलदेवप्रसाद मालीराम झुनझुनवाला ((कानूनी उत्तराधिकारी)/ भैस्थान रोड रायपुर छत्तीसगढ़ रायपुर-492001/ LBRPR00002443527/ LBRPR00004844711/ LBRPR00002443528	प्लॉट संख्या सी-96, सी-97, सी-98/5, वार्ड क्रमांक 46, डॉ. राजेंद्र प्रसाद वार्ड, कटोरा तालाब, स्कीम क्रमांक 16, सेक्टर क्रमांक 7, रायपुर, छत्तीसगढ़/ क्षेत्रफल 7500 वर्ग फीट/ सांकेतिक कब्ज़े की तिथि 21.09.2024	मई 18, 2024 रु. 5,31,53,746/-	रायपुर/ नागपुर
2.	आदिल अली/साजिद अली/कुरैशा बी/214/12 वार्ड आर फैज़ नगर रवि दास टेम्पल के सामने पलापका, बिलासपुर, एम कॉर्प छत्तीसगढ़, बिलासपुर-495001/ LBBSR00004470981/ LBBSR00004470995	प्लॉट संख्या 36, खसरा संख्या 161/3, पीएच संख्या 22, शीट संख्या 5, ब्लॉक संख्या 4, गाँव तालापारा, तहसील और जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ (क्षेत्रफल 0.016 हेक्टेयर = 1885 वर्ग फीट/ सांकेतिक कब्ज़े की तिथि 21.09.2024	मई 30, 2024 रु. 32,74,665/-	बिलासपुर
3.	सुनील कुमार आहूजा/ किरण आहूजा/ अनिल कुमार आहूजा/ तेलीपारा, गली नंबर 2, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़, बिलासपुर- 495001/ LBBSR00001886618	प्लॉट क्रमांक 509, खसरा क्रमांक 340/12, मोहल्ला लाला कश्यप कॉलोनी, वार्ड क्रमांक 25, संत रविदास नगर, पी.एच. क्रमांक 22/34, स्टार क्रमांक 10/6, मौजा जूना बिलासपुर, आर.एन.एम. बिलासपुर, विकासखंड बिल्हा, तहसील और जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़/ क्षेत्रफल- 3600 वर्ग फीट यानी 0.08 एकड़ यानी 334.572 वर्ग मीटर, साथ ही भूतल पर 1134 वर्ग फीट यानी 105.390 वर्ग मीटर आर.सी.सी. निर्मित क्षेत्र और 2466 वर्ग फीट यानी 229.182 वर्ग मीटर खुला क्षेत्र/ सांकेतिक कब्ज़े की तिथि 21.09.2024	28/05/2024 रु. 16,99,428/-	बिलासपुर

उपरोक्त कर्ज़दार(रों)/जमानतदार(रों) को राशि वापस करने के लिए 30 दिन का नोटिस जारी किया जाता है, अन्यथा बंधक रखी गई संपत्ति(याँ) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 और 9 के प्रावधानों के अनुसार इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के बाद नीलाम कर दी जाएगी।

दिनांक : सितम्बर 26, 2024
स्थान : रायपुर और बिलासपुर

भवदीय, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के लिए

छत्तीसगढ़ शासन वनविभाग
कोंडागांव वनमंडल के काष्ठागार के नीलाम का संक्षिप्त विवरण

सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि कोंडागांव वनमंडल के अंतर्गत कोंडागांव काष्ठागार में संग्रहित ईमारती काष्ठ/जलाऊ काष्ठ का घोष विक्रय द्वारा निर्वतन निम्नानुसार किया जावेगा। इच्छुक बोलीदारों से अनुरोध है कि घोष विक्रय में भाग लेवें। घोष विक्रय की शर्तें एवं अन्य जानकारी कार्यालयीन दिवस एवं समय पर संबंधित वनमंडल से प्राप्त की जा सकती है।

वनमंडल का नाम	काष्ठागार का नाम	नीलाम दिनांक व समय
कोंडागांव वनमंडल कोण्डागांव	कोंडागांव काष्ठागार	01/10/2024, प्रातः 9.00 बजे से

प्रजाति	अविक्रित वनोपज			योग		
	ई काष्ठ (घ.मी)	बल्ली/डेंगरी (नग में)		ई काष्ठ (घ.मी)	बल्ली/डेंगरी (नग में)	
1	5	6	7	8	9	10
सागौन	1.916	743	4	1.916	743	4
साल	2331.624	486	1125	2331.624	486	1125
बीजा	74,711	9	12	74.711	9	12
साजा	14.636	10	4	14.636.	10	4
हल्दू	34.069	7	7	34.069	7	7
अन्य	34.047	19	13	34.047	19	13
औ.बांस	35060 Nog.	15.817 N.T.		35060 नग		15.817 N.T.
योगः-	2491.003	1274	1165	2491.003	1274	1165
औ.बांस	35060 Nog.	15.817 N.T		35060 नग		15.817 N.T

दूरभाष क्रमांक-दक्षिण कोंडागांव वनमंडल (07786-242303)

(1) प्रत्येक क्रेता को नीलाम में बोली लगाने के पूर्व प्रत्येक लॉट के संबंध में जिस सीमा तक वह बोली लगाना चाहता है, उसके 10 प्रतिशत के बराबर राशि या 1,000/- रूपये इसमें जो भी अधिक हो, जमा करना अनिवार्य है।
(2) क्रेता द्वारा नीलाम में बोली लगाने के पूर्व वर्ष 2024 का पंजीयन प्रमाण पत्र, तस्ख्र प्रमाण पत्र एवं आयकर पेन कार्ड की छायाप्रति ई.एम.डी. कक्ष में जमा करना अनिवार्य है।
(3) विनिर्माता/उपभोक्ता/व्यापारी लायसेंस, तस्ख्र कर एवं आयकर पेन नंबर की छायाप्रति अनिवार्य रूप से जमा करने पर ही वर्क आर्डर जारी किया जावेगा।
(4) नीलाम में क्रय किये गये लॉटों का विक्रय मूल्य सहित विवरण ई.एम.डी. जमा पर्ची के पीछे अनिवार्य रूप से दर्ज करना होगा।
(5) GST की राशि का भुगतान पृथक से ÷कोण्डागांव वनमंडल कोण्डागांव÷ के नाम से बैंक ड्राफ्ट जो कोंडागांव में देय हो, तैयार कर प्रस्तुत करना होगा।

वनमंडलाधिकारी
कोंडागांव वनमंडल
जी-242502791 कोंडागांव